न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 05 सन 2019

अनवान :–

1. सुभाष पुत्र दलीप पुत्र खुबीराम जाति नाई निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल–

बनाम

1. खूबीराम पुत्र बदरू जाति नाई निवासी टोपरिया तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।
3. राजस्थान राजय जरिये तहसीलदार राजस्व रावमसर
4. उप पंजीयक नोहर
5. उप पंजीयक रावतसर

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता सायल
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता गैरसायल संख्या 1

निर्णय दिनांक :– ३१/०१/२०१९

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 12/12 की कुल 4.550है व रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 48/49 की कुल 1.2650हैक व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर के खाता संख्या 13/13 की कुल 3.0360हैक भूमि गैरसायल न0 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सायल व प्रतिवादीगण का उपरोक्त भूमि मे गैरसायल न0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा के खातेदार काश्तकार है लेकिन उक्त भूमि कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण राजस्व रिकार्ड में गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज है जिसके कारण सायल किसी भी प्रकार की सुविधा प्राप्त नही कर पा रहा है सायल ने अपने हकों की घोषणा का वाद पेश किया हुआ है।

प्रतिवादीया संख्या 5 ता 8 जो सायल की भूआ है प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 जो सायल की पुत्रिया है तथा प्रतिवादी संख्या 14 ता 18 जो सायल के भानजा /भानजी है उक्त भूमि मे कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है तथा जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के मध्य पिता /भाईयो व मामा के पक्ष में त्याग कर चुके है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने उक्त मुश्तरका खाता की भूमि बहिब बाहमी बटवारा कर रखा है बंटवारा के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या का सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा , तथा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा है और बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है। जिसका खाता व लगान अलग अलग दर्ज करवाना चाहते है।

गैरसायल न0 1 सयुक्त भूमि अकेले के नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए बिना किसी जायज जरूरत के समस्त भूमि फरोख्त करने पर उतारू है यदि गैरसायल न0 1 अपने मकसद मे कामयाब हो जाता है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये सायल गैरसायल न0 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने का अधिकारी है। अत वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद भूमि ताफैसला दावा रहन बेय /अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करने हेतु गैरसायल को पाबन्द किया जावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की और से पेरोकार राज उपस्थित

Scanned with CamScanner

आये किन्तु फोरमल पक्षकार होने के कारण जबाब पेश नही किया तथा गैरसायल न0 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 12/12 की कुल 4.550है व रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता सख्या 48/49 की कुल 1.2650हैक व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर के खाता संख्या 13/13 की कुल 3.0360हैक भूमि गैरसायल न0 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एव पैतृक सम्पति होना स्वीकार है।

सायल का वाद भूमि में कितना हक हिस्सा बनता है स्पष्ट नही किया तथा वाद मे कुर्सीनामा गलत तोर से दर्ज किया गया है तथा किसी भी पक्षकार ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग नही किया गया है समस्त पक्षकारों को पक्षकार बनाये बिना सुनवाई की जानी विधि विरूद्व है प्रार्थना पत्र मे सायल खाता विभाजन करवाने का अधिकारी नही है मनगढत तथ्यों /कथनों के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही है।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र मे भाई बहिनो प्रतिवादी सख्या 9 ता 13 व पिता प्रतिवादी संख्या 2 को पक्षकार नही बनाया कुल 1/10 हिस्सा में उपरोक्त 7 वारिस है सायल अकेला 7/10 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है अर्थात सायल प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के काश्तकार है सायल 1/4 हिस्सा पाने का अधिकारी नही है। सायल ने समस्त पक्षकारन को पक्षकार नही बनाया गया है जिन्हे सुने बिना प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया जा सकता है।

उक्त अनवानी वाद व प्रार्थना पत्र से सम्बधित पूर्व में वाद न्यायालय हाजा में वाद जैरकार था जो प्रहलाद बनाम खुबीराम अनवानी था जिसमें आगामी ता:पेशी 03.07.2019 नियत है सायल उक्त वाद के जैरकार रहते नया वाद कानुनी तौर से प्रस्तुत नही कर सकता है। इसलिये सायल का प्रार्थना पत्र 10 सीपीसी आरिज है। तथा प्रार्थना पत्र 10.01.2019 को प्रार्थना पत्र खारिज किया जा सकता है सायल ने उपरोक्त कथनो को छुपा कर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है अर्थात सायल क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नही आया है प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन व साम्य न्याय का सिद्वान्त गैरसायलान के पक्ष में है सायल व प्रतिवादी संख्या 2 तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 सयुक्त तौर से 1/10 हिस्से के केवल 18 आर.डब्ल्यू.डी. व टोपरिया बारानी मे ही है। प्रतिवादी संख्या 1 खुबीराम को आवंटित भूमि में जो दादालाई एवं पैतृक सम्पति नही है में किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने का अधिकारी नही है ना ही सायल ने प्रार्थना पत्र में अपने हिस्से स्पष्ट किये है तथा रावतसर तहसील की भूमि पर भी स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है जिसका अधिकारी नही है अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जावे।

जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 12/12 की कुल 4.550है व रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 48/49 की कुल 1.2650हैक व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर के खाता संख्या 13/13 की कुल 3.0360हैक भूमि गैरसायल न0 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सायल व प्रतिवादीगण का उपरोक्त भूमि में गैरसायल न0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा के खातेदार काश्तकार है लेकिन उक्त भूमि कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण राजस्व रिकार्ड में गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज है जिसके कारण सायल किसी भी प्रकार की सुविधा प्राप्त नही कर पा रहा है सायल ने अपने हको की घोषणा का वाद पेश किया हुआ है।

प्रतिवादीया संख्या 5 ता 8 जो सायल की भूआ है प्रतिवादी सख्या 9 ता 13 जो सायल की पुत्रिया है तथा प्रतिवादी सख्या 14 ता 18 जो सायल के भानजा /भानजी है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है तथा जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के मध्य पिता /भाईयो व मामा के पक्ष में त्याग कर चुके है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने उक्त मुश्तरका खाता की भूमि बहिब बाहमी बटवारा कर रखा है बटवारा के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या का सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा , तथा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा है

Scanned with CamScanner

और बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है। जिसका खाता व लगान अलग अलग दर्ज करवाना चाहते है।

गैरसायल न0 1 सयुक्त भूमि अकेले के नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए बिना किसी जायज जरूरत के समस्त भूमि फरोख्त करने पर उतारू है ।वि गैरसायल न0 1 अपने मकसद मे कामयाब हो जाता है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये सायल गैरसायल न0 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने का अधिकारी है। अत वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद भूमि ताफैसला दावा रहन बेय /अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करने हेतु गैरसायल को पाबन्द किया जावे।

वकील गैरसायल न0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे निवेदन किया की रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 12/12 की कुल 4.550है व रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 48/49 की कुल 1.2650हैक व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर के खाता संख्या 13/13 की कुल 3.0360हैव भूमि गैरसायल न0 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है एवं पैतृक सम्पति होना स्वीकार है।

सायल का वाद भूमि में कितना हक हिस्सा बनता है स्पष्ट नही किया तथा वाद मे कुर्सीनामा गलत तोर से दर्ज किया गया है तथा किसी भी पक्षकार ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग नही किया गया है समस्त पक्षकारों को पक्षकार बनाये बिना सुनवाई की जानी विधि विरूद्व है प्रार्थना पत्र में सायल खाता विभाजन करवाने का अधिकारी नही है मनगढत तथ्यों /कथनों के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही है।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र मे भाई बहिनों प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 व पिता प्रतिवादी सख्या 2 को पक्षकार नही बनाया कुल 1/10 हिस्सा मे उपरोक्त 7 वारिस है सायल अकेला 7/10 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है अर्थात सायल प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के काश्तकार है सायल 1/4 हिस्सा पाने का अधिकारी नही है। सायल ने समस्त पक्षकारन को पक्षकार नही बनाया गया है जिन्हे सुने बिना प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया जा सकता है।

उक्त अनवानी वाद व प्रार्थना पत्र से सम्बधित पूर्व मे वाद न्यायालय हाजा मे वाद जैरकार था जो प्रहलाद बनाम खुबीराम अनवानी था जिसमें आगामी तारीपेशी 03.07.2019 नियत है सायल उक्त वाद के जैरकार रहते नया वाद कानुनी तौर से प्रस्तुत नही कर सकता है। इसलिये सायल का प्रार्थना पत्र 10 सीपीसी आरिज है। तथा प्रार्थना पत्र 10.01 2019 को प्रार्थना पत्र खारिज किया जा सकता है सायल ने उपरोक्त कथनों को छुपा कर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है अर्थात सायल क्लीन हैण्ड से न्यायालय मे नही आया है प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होना है कि वाद भूमि मे सायल का हक हिस्सा है या नही और वाद भूमि में से कितनी भूमि पैतृक है और कितनी भूमि स्वअर्जित है प्रार्थना पत्र में तो केवल यह तय किया जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे गैरसायल न0 1 बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जो वादी के दादा है वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सायल किसी भी प्रकार का टिनेन्ट राजस्व रिकार्ड मे नही है यदि हस्तगत प्रकरण मे किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो सायल को किसी प्रकार को कोई प्रभाव नही होगा क्योकि सायल किसी प्रकार का टिनेन्ट ही राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही है गैरसायल न0 1 बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन गैरसायल संख्या 1 के पक्ष में साबित होता है।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में अपने पैतृक सम्पति मे अपने हकों की घोषणा का विवरण अंकित किया जाकर गैरसायल न0 1 को पाबन्द करवाने का निवेदन किया गया है सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में गैरसायल न0 1 खुबीराम के समस्त वारिसान को पक्षकार ही नही बनाया गया तथा साथ ही कथन किया की दावा में प्रतिवादी संख्या 5 ता 18 ने अपने हकों का त्याग किया हुआ है किन्तु अपने इस कथन के समर्थन मे किसी प्रकार का साक्ष्य पेश नही किया गया है मात्र कथनों के आधार पर हकों का त्याग किया जाना नही माना जा सकता है सायल कथनों के आधार पर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को पाबन्द करवाने का अधिकारी नही है। सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार माना गया है किन्तु 1/4 हिस्सा किस प्रकार से माना गया है स्पष्ट नही किया गया है

Scanned with CamScanner

साथ यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर ही तय होना उससे पुर्व सायल किसी प्रकार के हकों का निर्धारण करने का अधिकारी नही है। सायल ने पूर्व में प्रस्तुत वाद/प्रार्थना पत्र का भी अंकन हस्तगत प्रार्थना पत्र में नही किया जो किया जाना आवश्यक था जब पूर्व में वाद /प्रार्थना पत्र का निस्तारण न्यायालय द्वारा पूर्व में किया गया है तो पूनः वाद/प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश नही कर सकता अर्थात सायल क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नही आया है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायल न0 1 खुबीराम रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को सायल के मौखिक कथनों के आधार पर पाबन्द नही किया जा सकता है यदि पाबन्द किया जाता है तो सायल को किसी प्रकार का नुकसान /क्षति नही होती है बल्की रिकार्डेड खातेदार गैरसायल संख्या 1 को होगी अर्थात अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के बजाय गैरसायल के पक्ष में पाया जाता है।

इसप्रकार सायल क्लीन हैण्ड एवं अपूर्ण साक्ष्यों एवं मौखिक कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सायल के पक्ष में ना होकर गैरसायल न0 1 के पक्ष में साबित होते है सायल ने मात्र मौखिक कथनों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है किसी प्रकार का साक्ष्य सबुत पेश नही किये गये है कथनों के आधार पर किसी खातेदार काश्तकार को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है।

उरोक्त विवेचन अनुसार सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 17.01.2019 को रोही मौजा 18 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 12/12 की कुल 4.5540हैक , रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 48/49 की 1.265हैक रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 13/ 13 के कुल 3.036हैक भूमि पर जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31/07/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया .

(सुरेन्द्र सिह पुरोहित)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner